प्रेस नोट दिनांक 04.09.223

(1). आज दिनांक 04.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 04.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 05 लीटर कच्ची व 37 क्वार्टर देशी शराब बरामद की ।
(क). उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा तथा उनके हमराही आरक्षी अमित सिंह व आरक्षी बब्बू राजा द्वारा अभियुक्त बबली पुत्र भोला प्रसाद निवासी कब्टा खुर्द थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 37 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया ।
(ख). उ0नि0 श्री त्रिलोकीन नाथ मिश्रा थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही आरक्षी संजीव सोनी, महिला आरक्षी रानी देवी द्वारा अभियुक्ता जीतू देवी पत्नी राजाराम निवासी मकरी पहरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0लं0 139/2023 धारा 494ए,304बी भादवि व 03/04 डीपी एक्ट के वांछित अभियुक्त अजय पुत्र रतीभान निवासी परसौंजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1. उ0नि0 श्री त्रिलोकी थाना मिश्र थाना पहाड़ी
2. आरक्षी गुड्डू यादव

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त उमेश सिंह पुत्र जागेश्वर सिंह निवासी मुलायम नगर बनकट 2. रज्जू

कुमार पुत्र सलपाती कुम्हार निवासी पहाड़ी 3. अनीश पुत्र नबी खां निवासी इटवां थाना रैपुरा 4. अर्जुन प्रसाद नाई पुत्र हर प्रसाद 5. विनय कुमार पटेल पुत्र ललक सिंह पटेल 6. वीरेन्द्र कुमार पुत्र अमृतलाल निवासी नई दुनिया बनकट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों पर हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 2240/- रुपये 52 अदद ताश के पत्ते व जामा तलाशी से 380/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1. मालफड़ 2240/- रुपये 52 अदद ताश के पत्ते
2. जामा तलाशी से 380/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी गोलू भार्गव
3. आरक्षी राहुल देव

(6). आज दिनाँक 04.09.2023 को जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनन्द तथा पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला की अध्यक्षता में भाद्रपद (भादौं) मास की अमावस्या मेला की तैयारी के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में गोष्ठी आयोजित की गयी।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार 14 सितंबर 2023 को भाद्रपद मास की अमावस्या पड़ रही है जिससे संबंधित धार्मिक गतिविधियों का मेला 13 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक चलेगा। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी को निर्देश दिए कि परिक्रमा मार्ग रामघाट एवं पूरे मेला क्षेत्र में अच्छी साफ सफाई व्यवस्था प्रकाश व्यवस्था तथा सीसीटीवी कैमरा जो खराब है उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया जाए उप जिलाधिकारी कर्वी, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर एवं यातायात से कहा कि जिन स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाया गया है वहां पर कौन से वाहन खड़े होंगे उसके बैनर लगाए जाएं तथा सभी पार्किंग स्थल का स्थलीय भ्रमण करके जो कमियां हो तो उसे अधिशासी अधिकारी से पूर्ण कराया जाए सभी जगह पेयजल प्रकाश शौचालय आदि व्यवस्था सुनिश्चित करें पार्किंग स्थलों पर यह भी देखा जाए कि अगर बरसात होती है तो वहां खड़ा करने के लिए अन्यत्र भी व्यवस्था रखी जाए, अपर पुलिस अधीक्षक से कहा कि पार्किंग प्रभारी भी पुलिस के अधिकारियों को नामित करें, अधिशासी अभियंता जल संस्थान से कहा कि पार्किंग स्थल एवं मेला क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए टैंकर आदि लगाए जाएं जहां पर टैंकर कम हो तो जिला पंचायत राज अधिकारी से मांग कर व्यवस्था कराएं , अधिशासी अभियंता विद्युत से कहा कि मेला क्षेत्र में मेला के दौरान निर्वाध रूप से विद्युत सप्लाई संचालित रहे तथा जो तार या पोल खराब हो तो उसको मेला से पूर्व ठीक करा ले अधिशासी अधिकारी से कहा कि पर्यटन अधिकारी के साथ परिक्रमा मार्ग में जो प्रकाश व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरा के वायरिंग है उसको भी चेक करा ले, अधिशासी अधिकारी से कहा कि फ्लड लाइट की भी व्यवस्था कराई जाए, बेड़ी पुलिया व निर्मोही अखाड़ा,यूपीटी के पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया जाए अन्ना पशुओं के लिए भी टीमें लगाई जाए मेला क्षेत्र के अंदर कोई भी अन्ना पशु नहीं घूमना चाहिए यह सुनिश्चित करलें, सहायक अभियंता सिंचाई श्री गुरु प्रसाद से कहा कि रामघाट पर गंगा जी के किनारे पर बैरिकेडिंग कराएं गोताखोर नाव बैनर भी लगे चौकी प्रभारी सीतापुर से कहा कि नाविकों के लिए स्थान चिन्हित करके नाव लगाई जाए ताकि तीर्थ यात्रियों को मां मंदाकिनी गंगा में स्नान करने पर कोई समस्या न हो, जिलाधिकारी ने रोडवेज के अधिकारियों से कहा की बसों की संख्या और बढ़ाकर नया बस स्टेशन से ही बसों का संचालन कराया जाए कर्वी बस स्टॉप पर बसों को नहीं खड़ा किया जाए, अधीक्षक रेलवे स्टेशन से कहा कि मेला के दौरान स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करें तथा ट्रेनों के समय को भी प्रचार प्रचार किया जाए स्टेशन के बाहर पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी रेलवे लगवाएं, भरतकूप व शिवरामपुर स्टेशन पर भी मेला के दौरान ट्रेनों को रोकने की व्यवस्था कराएं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि ट्रैफिक चौराहा जूनियर हाई स्कूल खोही परिक्रमा मार्ग पर एंबुलेंस की व्यवस्था किया जाए इसके अलावा जहां पर स्वास्थ्य टीम लगाई जाती थी वहां पर लगे चौकी

परिक्रमा मार्ग व रामघाट पर स्टेचर की भी व्यवस्था रहे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों की चेकिंग लगातार कराएं परिक्रमा मार्ग में जलेबी वाली गली पर जो दुकानदार सिलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं उसकी पूर्ति निरीक्षक के साथ सीज कराया जाए, श्रम प्रवर्तन अधिकारी से कहा कि बाल श्रम के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करें जिला खनिज अधिकारी से कहा कि ट्रक और क्रेशर यूनियन के साथ संपर्क करके मेला के दौरान भारी वाहनों का संचालन बंद कराया जाए, अपर उप जिलाधिकारी से कहा कि गेट व साज सज्जा की भी व्यवस्था पर्यटन अधिकारी से संपर्क कर कराएं अधिशासी अधिकारी परिक्रमा मार्ग का तत्काल अतिक्रमण का मालवा हटाकर साफ स्वच्छ करें, जिलाधिकारी ने कहा कि यह बैठक सभी संबंधित विभागों के साथ आज आयोजित की गई है कि मेला के पूर्व सभी तैयारी कर सकें उप जिलाधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर एवं यातायात एक साथ मिलकर क्षेत्र का भ्रमण करके जो व्यवस्थाओं में कमी हो उसको संबंधित विभाग से पूर्ण कराए साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए सफाई कर्मियों को शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई जाए और वह प्रॉपर ड्रेस पर सफाई करें रेलवे अपने प्लान के बारे में अवश्य समय से अवगत कराए ताकि मेला के दौरान कोई समस्या न हो।

पुलिस अधीक्षक महोदया ने कहा कि गत अमावस्या मेला के दौरान काफी भीड़ थी इस बार भी काफी भीड़ आने की संभावना है हम आप सब लोग सतर्क दृष्टि रखते हुए मेला को सकुशल संपन्न करेंगे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों से कहा कि आपसी तालमेल स्थापित कर मेला को सकुशल संपन्न करना हम आपका काम है उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य जो भी व्यक्ति मेला क्षेत्र के आसपास तीर्थ यात्रियों को भोजन पानी उपलब्ध करने में सक्षम हो उन्हें प्रेरित कर करवाया जाए, उन्होंने चौकी प्रभारी सीतापुर से कहा कि रामघाट पर दुकानदार जो बाहर दुकान लगाते हैं उनको तत्काल हटा दें इसी प्रकार चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग परिक्रमा मार्ग पर कोई दुकानदार दुकान ना लगाएं इसके लिए भी अभी से अभियान चलाकर हटवाए जो दुकानदार ना माने तो उनका सामान भी जब्त कराया जाए दंडवती परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को भी दंडवती वाले स्थान से ही लेटी परिक्रमा कराई जाए, उन्होंने जीआरपी से कहा कि रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित करें उप जिलाधिकारी कर्वी, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी से कहा कि रामायण मेला परिसर सीतापुर, नया बस स्टैंड एवं चित्रकूट इंटर कॉलेज में तीर्थ यात्रियों की ठहरने की भी व्यवस्था कर लिया जाए, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से कहा कि मेला के दौरान टेंपो टैक्सी आदि पर रेट चस्पा होना चाहिए नाबालिक बच्चे ई-रिक्शा ना चलाएं तथा अधिक सवारी लेकर कोई भी वाहन न चलने पाए इस पर अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें मेला को सकुशल संपन्न करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है।

गोष्ठी में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री कुंवर बहादुर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री राजबहादुर, राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, मानिकपुर श्री रामजन्म यादव, मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, अपर उप जिला अधिकारी श्री सतीश चंद्र, श्री पंकज वर्मा, श्री सौरभ यादव, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पांडेय, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय सहित संबंधित अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा परिवारिक आपसी झगड़े को समाप्त कराकर बहु एवं ससुरालीजनों में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिक दिलीप कुमार चौरसिया पुत्र उमेशचन्द्र निवासी बरगढ़ स्टेशन, थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक महोदया के समक्ष प्रर्थना पत्र दिया कि उनकी पत्नी प्रीती चौरसिया उनके साथ लड़ाई-झगड़ा करती हैं। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त महिला आरक्षी सुरुची चौधरी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनो

पक्षों को समझाया गया। दोनो पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर सभी को प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा दोनो पक्षों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया।

(8). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार सरोज द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट/अपर सत्र न्यायधीश श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 196/2016 धारा 147/148/149/307 भादवि व 12/14 डी.ए.ए. एक्ट के आरोपी अभियुक्त खरदूषण उर्फ भइयन पुत्र हीरालाल निवासी नेउरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 12.11.2016 को अभियुक्त खरदूषण उपरोक्त द्वारा गैंग के साथियों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गय था, जिसके सम्बन्ध में थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 196/2016 धारा 147/148/149/307 भादवि व 12/14 डी.ए.ए. एक्ट पंजीकृत किया गया। तत्काली प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री अंगद प्रताप सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी एवं दिनाँक 24.04.2017 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं दिनाँक 12.09.20217 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

(9). आज दिनाँक 04.09.023 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय की अध्यक्षता थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय की उपस्थिति में आगामी त्यौहार(कृष्ण जन्माष्टमी,चेहुल्लम) के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु गोष्ठी की गयी।

(10). जनसुनवाई पोर्टल पर जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु रिपोर्ट की समीक्षा शासन स्तर पर प्रतिदिन की जाती है। माह अगस्त 2023 में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों एवं उनके गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा में जनपद चित्रकूट पुलिस को उ0प्र0 के सभी 75 जिलों में से प्रथम स्थान प्रदान किया गया है।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी आईजीआरएस, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय एवं निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार यादव प्रभारी आईजीआरएस द्वारा उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेशों-निर्देशों का पालन कराते हुये कड़ी मेहनत की गयी। माह अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ, जिलाधिकारी/जनसेवा संपूर्ण समाधान दिवस/थाना दिवस में जनपद पुलिस द्वारा सभी संदर्भों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। आईजीआरएस शाखा में नियुक्त आरक्षी मानवेन्द्र सिंह एवं महिला आरक्षी अनीशा बानो,महिला आरक्षी मीरा यादव ने तथा जनपद के समस्त थानों/क्षेत्राधिकारी कार्यालयों में आईजीआरएस पोर्टल का कार्य देख रहे पुलिस कर्मियों ने कड़ी मेहनत कर सभी संदर्भों की ऑनलाईन फीडिंग की गयी एवं प्राप्त संदर्भों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी जिस कारण से जनपद चित्रकूट को जनसुनवाई के मामलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सभी संदर्भों की ऑनलाईन फीडिंग एवं प्राप्त संदर्भों के निस्तारण में जनपद चित्रकूट के सभी 12 थानों को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। प्राप्त संदर्भों में असंतुष्ट फीडबैक का प्रतिशत मात्र 0.25% है।